रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2006/आश्विन 28, 1928
No. 1265] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2006/ASVINA 28, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1804(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री विजय जौली, विधान सभा सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री सज्जन कुमार, आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री सज्जन कुमार को दिल्ली ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 10 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सज्जन कुमार संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम,

2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है ;

और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ, ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री सज्जन कुमार की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री सज्जन कुमार, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हुए हैं ।

भारत का राष्ट्रपति

14 अक्तूबर, 2006.

[फा. सं. एच-11026(29)/2006-वि.-II]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य श्री सज्जन कुमार की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 48

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 10.04.2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सज्जन कुमार संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, श्री विजय जौली, विधान सभा सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की तारीख 28 मार्च,2006 की याचिका से उद्भूत हुआ है । याचिका में, याची ने श्री सज्जन कुमार (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि उन्हें 11.10.2004 को दिल्ली ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, जो याची के अनुसार अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन लाभ का पद है । याचिका में, याची ने गलती से 'दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड' का, उसके सही नाम की बजाए 'दिल्ली ग्रामीण विकास समिति' के रूप में उल्लेख किया है । याचिका के साथ संलग्न प्रत्यर्थी के नियुक्ति के आदेश की एक प्रति उनकी 'दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड' के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का उल्लेख करती है ।

3. आयोग ने 02.05.2006 को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की जिसमें उससे 22.05.2006 तक उसका उत्तर फाइल करने के लिए कहा गया था । 20.05.2006 को, प्रत्यर्थी ने श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिवक्ता के माध्यम से आयोग की तारीख 02.05.2006 की सूचना के उत्तर में एक आवेदन प्रस्तुत किया । उसने यह कथन किया कि एक ब्यौरेवार और व्यापक उत्तर फाइल करने के लिए उसे कतिपय दस्तावेज एकत्रित करने की आवश्यकता थी, और जिसके लिए उसे और समय अपेक्षित था । उसने आयोग से, उसे कम से कम चार सप्ताह का समय विस्तारण दिए जाने का अनुरोध किया, जिससे कि वह आयोग के निदेश के अनुसार सुसंगत दस्तावेजों के साथ ब्यौरेवार/व्यापक लिखित कथन फाइल करने में समर्थ हो सके । आयोग ने उसके अनुरोध पर विचार किया और उसे 21.06.2006 तक का समय प्रदान किया ।

4. प्रत्यर्थी ने 18.06.2006 को एक लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने उसके विरूद्ध किए गए अभिकथनों से इंकार किया और निर्देश पर उसके वकील के माध्यम से सुनवाई करने का अनुरोध किया । उसने यह कथन किया कि उसने उक्त पद पर उसकी नियुक्ति के फलस्वरूप कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं लिया था ।

5. इस प्रकार जब यह मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, "दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष" के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

6. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनयम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4.04.1959 से

प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना {1970(2)एससीआर 838} में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थी, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला {2005 का 2(जी)} में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले {2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)} में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला, तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और प्रत्यर्थी की निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं ।

7. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत यह है कि ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया श्री सज्जन कुमार की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री सज्जन कुमार, उनकी दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अभिकथित नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 सितम्बर, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2006

S.O. 1804(E).— The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 28th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Sajjan Kumar, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Vijay Jolly, Member of Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi;

And whereas the said petitioner has averred that Shri Sajjan Kumar was appointed as Chairman, Delhi Rural Development Committee, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 10th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Sajjan Kumar has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, has been enacted by the Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;

And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th day of April, 1959, vide clause (ii) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairman of the Delhi Rural Development Board, among others, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Sajjan Kumar, raised in the present petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue

of the provisions of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Sajjan Kumar has not become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of the Delhi Rural Development Board, as alleged in the petition.

President of India

14th October, 2006.

[F. No. H-11026(29)/2006-Leg.-II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

In *re:*
Alleged disqualification of Sh. Sajjan Kumar, Member of Parliament, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 48 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference, dated 10-4-2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Sajjan Kumar, has become subject to disqualification for being Member of Parliament (Lok Sabha) under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The above mentioned reference arose out of a petition, dated 28th March, 2006 from Shri Vijay Jolly, Member of Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi. In the petition, the petitioner has raised the question of alleged disqualification of Shri Sajjan Kumar (respondent) on the ground that he was appointed on 11-10-2004 as Chairman, Delhi Rural Development Committee which, according to the petitioner, is an office of profit under the Government within the meaning of Article 102(1)(a). In the petition, the petitioner has wrongly described the body as 'Delhi Rural Development Committee' instead of the correct name 'Delhi Rural Development Board'. Copy of the Order of appointment of the respondent annexed to the petition mentions about his appointment as Chairman of 'Delhi Rural Development Board'.

3. The Commission issued notice on 02-05-2006, under Section 146 of the Representation of the People Act, 1951, to the respondent asking him to file his reply by 22-05-2006. On 20-05-2006, the respondent, through Shri Anil Kumar Sharma, Advocate, submitted an application in reply to the Commission's notice dated 02-05-2006. He stated that for filing a detailed and comprehensive reply, he needed to collect certain documents and required more time. He requested the Commission to grant extension of time by atleast four weeks to enable him to file detailed/comprehensive written statement along with relevant documents as directed by the Commission. The Commission considered the request and granted him time upto 21-6-2006.

4. The respondent submitted written statement on 18-6-2006 denying the allegations against him and praying to be heard on the reference through his lawyer. He stated that he had not drawn any salary or remuneniration on account of his appointment to the said office.

5. While the matter was under consideration of the Commission for further enquiry, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the office of Chairman of the Delhi Rural Development Board, among others, has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

6. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference cases. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in *Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana* [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana

State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in a reference case {No. 2(G) of 2005.} relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendancy of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case {Reference Case Nos. 65(G) to 70 (G) 2006) on the petition of Shri Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing the disqualification, if any, of the respondent, squarely apply in this case.

7. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Shri Sajjan Kumar raised in the petition referred to in paragraph 2 above has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President referred to in paragraph 1 above is returned with the Commission's opinion to the effect that the Shri Sajjan Kumar is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of Chairman of the Delhi Rural Development Board, as alleged in the petition.

(S.Y.Quraishi)	(N.Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 14th September, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.